

भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

आदेश-पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक 1941 के नियम 129)

आदेश पत्रक ता० से तक

केस का प्रकार 'TA Misc. Case No. 225/2019-20

आदेश पत्रक संख्या क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ												
18.2.2020	आवेदक/आवेदिका बृहस्पति नायक, पिता-स्व० कैलाश चन्द्र नायक, जाति-गोंड (अ.ज.जा.), ग्राम-घोड़ाडुबा, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। मौजा-घोड़ाडुबा, थाना नं०-538, खाता नं०-161, खेसरा नं०-1793, रकवा-1.41 ए० क्रेता मीना बोदरा, पति-श्री मारला बोदरा, जाति-हो (अ.ज.जा.), ग्राम-घोड़ाडुबा, थाना-गोईलकेरा, जिला प० सिंहभूम के पास जमीन बिक्री/भू-हस्तांतरण हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत अनुमति हेतु आवेदन समर्पित किया है। जमीन का विवरण:- <table><tr><th>मौजा</th><th>थाना सं०</th><th>थाना</th><th>खाता सं०</th><th>खेसरा सं०</th><th>रकवा एकड़ में</th></tr><tr><td>घोड़ाडुबा</td><td>538</td><td>-</td><td>161</td><td>1793</td><td>1.41 ए०</td></tr></table> आवेदक नव गृह निर्माण हेतु 2,00,000/- (दो लाख) रुपये की आवश्यकता होने के कारण आवेदित भूमि का कुल रकवा 1.41 ए० को कुल कीमत 2,00,000/- (दो लाख) रुपये मात्र में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) प्रोभिजो "ए./बी." के अंतर्गत बिक्री करना चाहते हैं। आम सूचना निर्गत करें और अंचल अधिकारी गोईलकेरा से अपना जाँच प्रतिवेदन स्पष्ट मंतव्य सहित दिनांक 22.2.2020 तक मांग करें। अभिलेख दिनांक 22.2.2020 को उपस्थापित करें।	मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में	घोड़ाडुबा	538	-	161	1793	1.41 ए०	
मौजा	थाना सं०	थाना	खाता सं०	खेसरा सं०	रकवा एकड़ में									
घोड़ाडुबा	538	-	161	1793	1.41 ए०									

Devi
18.2.20

भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

Deu
18.2.20
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।